निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड

मि0नं0 13/अपील/19 तारीख दायरा 27.08.2019

उनवान अपील

01.मोहनलाल आ0 गजानन्द जाति कुल्मी नि0 धरोनिया तहसील पिड़ावा
02.गोरधन आ0 गजानन्द जाति कुल्मी नि0 धरोनिया तहसील पिड़ावा
03.भेरूलाल आ0 गजानन्द जाति कुल्मी नि0 धरानिया तहसील पिड़ावा
04.रामप्रसाद आ0 शिवनारायण जाति कुल्मी नि0 धरोनिया तहसील पिडावा (अपीलान्ट्स)

बनाम

01.बल्लभदास वल्द विष्णुदास जाति कुल्मी नि0 ग्राम रामनगर तहसील सुसनेर जिला आगर(म0प्र0)
02.पुरूषोत्तमदास वल्द विष्णुदास जाति कुल्मी नि0 जोनपुरा चौराहा सुनेल जिला झालावाड
03.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी फैसला तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 04.07.2019 किस्म मुकदमा धारा 76 नम्बर नामान्तकरण संख्या 1445/15.07.2011 ग्राम धरोनिया अपास्त करने बाबत।

उपस्थितः— श्री इकबाल अहमद खां अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री महेश पाटीदार अभिभाषक रेस्पो0 01

—: **निर्णय** :— दिनांकः 04.12.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पिडावा के आदेश दिनांक 15.07.2011 जिसके द्वारा ग्राम धरोनिया तहसील पिडावा की आराजी ख0न0 925 का इन्तकाल न0 1445 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि ग्राम धरोनिया तहसील पिडावा की आराजी ख0न0 925 का इन्तकाल संख्या 1445 मृतक खातेदार नन्दा वल्द मन्ना कुल्मी की मृत्यु पश्चात तहसीलदार पिड़ावा द्वारा फोती नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के पक्ष में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण आदेश 15.07.2011 के खिलाफ रेस्पो0 बल्लभदास द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ में प्रस्तुत की गई जिसका अपील न0 158/2011 था जिसको सारहीन मानकर दिनांक 06.07.2015 को खारिज कर दिया गया। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा दिनांक 06.07.2015 को पारित निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील श्रीमान अति0संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपील संख्या 141/2015 पर दर्ज कर उक्त द्वितीय अपील को दिनांक 25.10.2016 को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1445 दिनांक 15.07.2011 व जिला कलक्टर,झालावाड़ का निर्णय 06.07.2015 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार पिड़ावा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया की दीगर सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मृतक नन्दा के वारिसान की विधिक जांच कर नये सिरे से इन्तकाल पर आदेश पारित करें। तहसीलदार पिड़ावा द्वारा उक्त रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 04.07.2019 को अन्तिम निर्णय पारित कर मृतक नन्दा के विधिक वारिसान का सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाने के पश्चात ही मृतक नन्दा के विरासत का नामान्तरकरण दर्ज होगा। आगे अंकन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार पिड़ावा का निर्णय दिनांक 04.07.2019 खिलाफ कानून एवं पत्र सग्रंह पत्रावली के विपरीत होने व अपीलान्ट्स को मृतक खातेदार नन्दा का विधिक वारिस नही मानकर कानूनी भूल की है इससे निरस्त योग्य है । अपीलान्ट्स मृतक नन्दा के सगे भाई गजानन्द व शिवलाल के पुत्र व मृतक के सगे भतीजे है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है इस कारण मृतक नन्दा की सम्पत्ति पाने के हकदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की और ध्यान नही दिया कि रेस्पो0 1 व 2 को छोड़कर अन्य किसी सह खातेदार ने अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने बाबत पेश नही की गई है। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 24.04.2019 अनुसार नन्दा की मृत्यु तक देखभाल अपीलान्ट 1,2,3 के पिता व शिवनारायण द्वारा करना तथा अन्तिम संस्कार उसके भाईयों द्वारा करना बताया है। रेस्पो0 बल्लभप्रसाद व पुरूषोत्तम का मृतक नन्दा वल्द मन्ना से किसी प्रकार का पारिवारिक रिश्ता व सम्बन्ध नही है। बल्लभप्रसाद व पुरूषोत्तम धरोनिया में अरसे से निवास नही करते हैं वह सकुनत तर्क कर चुके है बल्लभप्रसाद मध्य

जिला कलक्टर
झालावाड़

प्रदेश में व पुरूषोत्तम जोनपुरा चौराहा पर निवास करते हैं। तहसीलदार पिड़ावा का फैसला दिनांक 04.07.2019 अपास्त कर मृतक नन्दा का फोती इन्तकाल अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक करने का अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 2 दिनांक 30.09.2019 को स्वंय उपस्थित हुए उक्त दिनांक के पश्चात उनके उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका। रेस्पो0 1 की और से अभिभाषक श्री महेश पाटीदार का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ व उपस्थित हुए।

अभिभाषक रेस्पो0 1 श्री महेश पाटीदार द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति अभिभाषक अपीलान्ट्स को दिलवाई गई। प्रस्तुत लिखित बहस में अंकन किया कि अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी में किसी भी तरह से कोई वारिसनामा या परिवार संबंधी दस्तावेज माननीय न्यायालय में पेश नही किया गये थे तथा अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नही है। विवादग्रस्त आराजी का विजयराम तथा विजयराम के दो पुत्र मन्ना लक्ष्मण थे तथा मन्ना लाफोत हुआ तथा मन्ना द्वारा नन्दा को गोद रखा था वह भी लाफोत हुआ तथा लक्ष्मण के पुत्र हरीराम था तथा हरीराम का पुत्र रामनारायण तथा रामनारायण के पुत्र विष्णुदास था तथा विष्णुदास का पुत्र बल्लभदास एवं पुरूषोत्तम है तथा अधीनस्थ न्यायालय में पुरूषोत्तम द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में बल्लभदास को मन्ना का वारिस माना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2019 की पालना में रेस्पोडेन्ट बल्लभदास द्वारा जिला न्यायाधीश,महोदय झालावाड़ के यंहा वारिस प्रमाण पत्र के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जब तक जिला न्यायाधीश का निर्णय नही हो जाता है तब तक न्यायालय इस अपील में अन्य निर्णय पारित नही किया जावे। अपील खारिज की जावे।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस व्यक्त किया कि ग्राम धरोनिया तहसील पिडावा की आराजी ख0न0 925 का इन्तकाल संख्या 1445 मृतक खातेदार नन्दा वल्द मन्ना कुल्मी की मृत्यु पश्चात तहसीलदार पिड़ावा द्वारा फोती नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के पक्ष में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण आदेश 15.07.2011 के खिलाफ रेस्पो0 बल्लभदास द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ में प्रस्तुत की गई जिसको न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा सारहीन मानकर दिनांक 06.07.2015 को खारिज कर दिया गया। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा दिनांक 06.07.2015 को पारित निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील श्रीमान अति0संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपील संख्या 141/2015 पर दर्ज कर उक्त द्वितीय अपील को दिनांक 25.10.2016 को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1445 दिनांक 15.07.2011 व जिला कलक्टर,झालावाड़ का निर्णय 06.07.2015 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार पिड़ावा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया की दीगर सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मृतक नन्दा के वारिसान की विधिक जांच कर नये सिरे से इन्तकाल पर आदेश पारित करें। तहसीलदार पिड़ावा द्वारा उक्त रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 04.07.2019 को अन्तिम निर्णय पारित कर मृतक नन्दा के विधिक वारिसान का सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाने के पश्चात ही मृतक नन्दा के विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत निर्देश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान को तलब नही किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार बाबत सक्षम न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने का आदेश परवर्स है, तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित पटवारी को विधिक जांच बाबत लिखा गया था उक्त जांच रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर नन्दा के वारिसान बाबत आदेश गैर कानूनी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में निर्वसित मरने पर प्रथम श्रेणी के वारिसान अथवा द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम सम्पत्ति करने के प्रावधान है। रिपोर्ट पटवारी पटवार मण्डल धरोनिया दिनांक 09.05.2019 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।

जिला कलक्टर
झालावाड़

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 2 द्वारा व्यक्त किया कि विवादग्रस्त आराजी का विजयराम तथा विजयराम के दो पुत्र मन्ना लक्ष्मण थे तथा मन्ना ला औलाद फोत हुआ तथा मन्ना द्वारा नन्दा को गोद रखा था वह भी ला औलाद फोत हुआ तथा लक्ष्मण के पुत्र हरीराम था तथा हरीराम का पुत्र रामनारायण तथा रामनारायण के पुत्र विष्णुदास था तथा विष्णुदास का पुत्र बल्लभदास एवं पुरूषोत्तम है तथा अधीनस्थ न्यायालय में पुरूषोत्तम द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में बल्लभदास को मन्ना का वारिस माना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2019 की पालना में रेस्पोडेन्ट बल्लभदास द्वारा जिला न्यायाधीश,महोदय झालावाड़ के यंहा वारिस प्रमाण पत्र के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जब तक जिला न्यायाधीश का निर्णय नही हो जाता है तब तक न्यायालय इस अपील में अन्य निर्णय पारित नही किया जावे। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया– प्रकरण के अवलोकन से उभरता है कि ग्राम धरोनिया तहसील पिडावा की आराजी ख0न0 925 का इन्तकाल संख्या 1445 मृतक खातेदार नन्दा वल्द मन्ना कुल्मी की मृत्यु पश्चात तहसीलदार पिड़ावा द्वारा फोती नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के पक्ष में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण आदेश 15.07.2011 के खिलाफ रेस्पो0 बल्लभदास द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ में प्रस्तुत की गई जिसका अपील न0 158/2011 था जिसको सारहीन मानकर दिनांक 06.07.2015 को खारिज कर दिया गया। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा दिनांक 06.07.2015 को पारित निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील श्रीमान अति0संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपील संख्या 141/2015 पर दर्ज कर उक्त द्वितीय अपील को दिनांक 25.10.2016 को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1445 दिनांक 15.07.2011 व जिला कलक्टर,झालावाड़ का निर्णय 06.07.2015 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार पिड़ावा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया की दीगर सहखातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मृतक नन्दा के वारिसान की विधिक जांच कर नये सिरे से इन्तकाल पर आदेश पारित करें। तहसीलदार पिड़ावा द्वारा उक्त रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 04.07.2019 को अन्तिम निर्णय पारित कर मृतक नन्दा के विधिक वारिसान का सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाने के पश्चात ही मृतक नन्दा के विरासत का नामान्तरकरण दर्ज बाबत आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2019 की पालना में रेस्पो0 बल्लभदास आ0 विष्णुदास द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश,झालावाड़ के समक्ष मृतक नन्दा आ0 मन्ना कुल्मी नि0 धरोनिया के उत्तराधिकारी घोषित हेाने बाबत वाद प्रस्तुत किया जाना साबित है। माननीय जिला न्यायाधीश,झालावाड़ के समक्ष उत्तराधिकारी घोषित बाबत प्रस्तुत उक्त प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रकरण विचाराधीन रहने से एक ही विचारणीय बिन्दु पर अलग–अलग न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में पृथक–पृथक निर्णय पारित होने की स्थिति उत्पन होने की सतत संभावना के दृष्टिगत दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 10 के अनुसरण में तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं इसके अन्तर्गत बने भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) व अधिनियम की धारा 75(1)(डी) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार के तहत भूमिधारी तहसीलदार पिड़ावा को प्रथम दृष्टया न्यायहित में आदेश है कि–तहसील पिड़ावा के ग्राम धरोनिया के नामान्तरकरण संख्या 1445 जो दिनांक 15.07.2011 को तस्दीक किया गया व जिसे माननीय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.10.2016 से अपास्त किया गया में अंकित आराजी बाबत माननीय सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय में प्रस्तुत उत्तराधिकारी घोषित होने बाबत वाद के निर्णय तक खुर्द–बुर्द,रहन,बय, विक्रय पर रोक लगाई जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय (भूमिधारी तहसीलदार) को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनांया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़